

# महत् अहमताम

उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... मोविन्दगढ़ (अलवर) .....  
 चैता देवी ..... अणाम ..... जसविंदर नगौर .....

सरीख हुनम	हुनम वा कार्यावाही मय हुनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकतम जो जारी हुअ
03.07.2023	<p>                             वकील प्राणी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 वकील प्राणी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्राणी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अपाथीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्राणी को एक फलीप सूना मया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केश व सूनिषा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति समग्र के फस में होना प्रतीत होता है।                         </p> <p>                             अतः अपाथीगण को जरी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता० पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खरस नम्बर 500/261, 385/38, 502/262 वाले ग्राम बड़ेही तहस मोविन्दगढ़ में भौक व रिकॉर्ड की गथास्थिति बनाये रखे। चूँकि एका पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अपाथीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्राणीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एकापार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।                         </p> <p>                             अपाथीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उख हो तो दिनांक 07.08.2023 को असाततन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करे, कि वयो ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अपाथीगण जरिये नोटिस रजिड आक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को वास्ते तलबी अपाथीगण पेश हो।                         </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 मोविन्दगढ़ (अलवर)

पत्रावली नं. 212  
 03.07.2023  
 जसविंदर नगौर

23.9.23

...की पालना में पत्रावली जारी...  
 दिनांक 09/11/23 को पेश हो।  
 मोविन्दगढ़ (अलवर)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>
<p>१५.३.२५</p>	<p>प्राथमिक अन्वेषण (वकील वारी) अन्तर्गत  वकील व उन्हे गरी को व्यापारिक  इलाकाल-काल कालात मावरी गरी।  कोरे उपहित गरी काया। का. प्रमाण  या वकील व उन्हे प्रती को कान-  वैली कान दाली त २५।२५  क्यापानांही पानिमी कानम २५।२५  दाल नाल कान हो। बाद वकील  वकील दालीम दाली।</p>

मं.